>

Title: Need to provide relief and rehabilitation to the families affected by floods in Sarayu river in Gonda district of Uttar Pradesh and to restore its natural course to prevent floods.

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि भारत नदियों का देश है और नदियों का नेचर हमेशा बदलता रहता है। देश की जितनी भी नदियां हैं, उनके किनारों पर बहुत संख्या में आबादी रहती है और चूंकि नदियां स्थायी नहीं हैं, इसलिए बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है। इन नदियों के कारण प्रति वर्ष कितने लोग बेघर होते हैं, यदि यह आंकड़ा निकाला जाए, तो मैं समझता हूं कि यह संख्या लाखों के ऊपर जाएगी। इस बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति हमें दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण प्रभावित लोगों को संरक्षण दिया जाता हो।

महोदया, मैंने अभी अपने लोक सभा क्षेत्र के गोंडा, बहराइच और बस्ती तीन जिलों का स्वयं नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की स्थिति देखने के लिए दौरा किया। हमारी तरबगंज तहसील के अंदर तुलसीपुर, साखीपुर और दत्तनगर में लगभग एक हजार गांव कट कर नदी की धारा में विलीन हो गए। पहले गांव में 200 दलित परिवारों के पट्टे की जमीन कट गई। साखीपुर गांव में 400 परिवारों की खेती-बाड़ी की सारी जमीन कट कर बह गई। इसी प्रकार से दत्तनगर में हुआ। इसी तरह से कैसरगंज तहसील और बस्ती में कई ऐसे गांव हैं, जो पूरे के पूरे नदी की धारा में विलीन हो गए हैं।

माननीय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने स्वयं कुछ पीड़ित लोगों के संबंध में जिले के कलैक्टर, मंडल आयुक्त, राजस्व मंत्री, सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री तक को पत्र लिखे और मंडल आयुक्त तथा कलैक्टर से मिला, लेकिन आज तक उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। लोग सड़कों पर रह रहे हैं। क्या होगा नरेगा का, क्या होगा पढ़ाई का, जब रहने को घर नहीं है, सिर के ऊपर छत नहीं है? वहां की इस समय जो स्थिति है, वह बहुत भयावह है। इस संबंध में, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि जब ऐसा विषय आता है, तो केन्द्र सरकार विशेष रूप से टाल देती है कि यह काम प्रदेश सरकारों का है इसलिए वे ही पीड़ितों को सहायता देंगी। हम प्रदेश सरकार के पास जा चुके हैं। उनके प्रतिनिधि, मंडल आयुक्त और कलैक्टर होते हैं। कलैक्टर उनका प्रतिनिधि होता है, एस.डी.एम. उनका प्रतिनिधि होता है, लेकिन कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि विशेषकर हमारे लोक सभा क्षेत्र के अन्दर और देश के अन्दर एक ऐसी नीति होनी चाहिए, पालिसी होनी चाहिए कि नदियों के किनारे जो लोग बसते हैं, उनका अगर घर कट जाता है, उनकी जमीनें कट जाती हैं तो उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए, यह हम भारत सरकार से मांग करते हैं।